

मूल न्याय में डिफ्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी च्यूस  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प मोलास (का)

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी R.A.S.

मानसिंह बनाम राज. सरकार

दावा बाबत नाम दुखस्ती U/s 38 RTA

मुकदमा नम्बर :- 101/2021

निर्णय दिनांक :- 18.11.2021


दादी की ओर से स्वयं को प प्रतिवादी के रूप में और से पौरोवार (राज) की उपस्थिति में इस धारा 18(1)(2) के अंतर्गत श्री राहुल सैनी R.A.S. (न्याय पीठासीन अधिकारी) उप खण्ड अधिकारी, च्यूस में न्यायिक प्रक्रिया के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि - दावा दादी

स्वीकार किया जाय कृषि भूमि खाता संख्या 88 ख.नं. 116 रोही ग्राम मोलास बड़ा में अंकित खालेवार का नाम मानसिंह पुत्र प्रेमसिंह के स्थान पर मानसिंह पुत्र जीवणसिंह अंकित करने का आदेश दिया जाता है। तबसीसदार च्यूस को उक्तानुसार राजस्व रिवाइड में अमल करामद करने के निर्देश दिये जाते हैं।

स्वयं पक्ष का नाम उक्तानुसार उक्तानुसार वहीन करेंगे।

यह आज तारीख 18/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय को मुद्रा लगाकर

दी गई।

  
(राहुल सैनी)  
पीठासीन अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी

दावा के खर्च

दादी	प्रतिवादी
रुपया	रुपया
1. दाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अली के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्श के लिए स्टाम्प	फोटो की सेवा
4. ...	साक्षियों के लिए निवेदन पत्र
5. साक्षियों के लिए निवेदन पत्र	आदेशिका की सामग्री
6. कमिश्नर को फॉर	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की सामग्री	
जोड़	जोड़

ना. 88/18.11.2021

